BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही **दिनांक-20.02.2025**

◆राहगिरों के साथ टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के दो शातिर अंतर्राज्यीय अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे

◆थाना भदोही पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता

◆अभियुक्तों के कब्जे से टप्पेबाजी की घटनाओं से सम्बंधित एक अदद लैपटॉप मय बैग, दो अदद लेडिस पर्स व नगदी तथा अवैध तमंचा 315 बोर मय जिंदा कारतूस व नाजायज चाकू बरामद

◆बरामदशुदा अवैध तमंचा व चाकू का राहगीरों को धमकाने में करते थे प्रयोग

◆थाना भदोही अंतर्गत कार सवार की कार से लैपटॉप व महिला राहगीर से पर्स टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण

◆घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की, की गई पहचान

◆गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता के संबंध में की जा रही जांच

घटनाक्रम-

दिनांक-04.02.2025 को पीड़िता/वादिनी मुकदमा द्वारा थाना भदोही पर सूचना दिया गया कि कस्बा भदोही लिप्पन तिराहे के पास दो अज्ञात व्यक्ति बातों में फंसा कर लेडिज पर्स लेकर भाग गए। सूचना पर तत्समय ही अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0-67/2025 धारा-316(2) बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

दिनांक-18.02.2025 को श्री चन्द्रेश कुमार निवासी गोरखपुर द्वारा सूचना दिया गया कि रजपुरा चौराहे के पास कार का पंचर बनवाते समय दो अज्ञात व्यक्ति आगे की सीट पर रखा हुआ लैपटॉप लेकर जाने लगे, उन्हें रोकते हुए पीछा करने पर उनके द्वारा चाकू दिखाकर भयभीत करते हुए लैपटॉप लेकर भाग गए। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त सूचना पर तत्समय ही अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0-85/2025 धारा-307 बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत करते हुए घटनास्थल के पास लगे हुए सीसीटीवी कमरों की मदद से आरोपियों की पहचान के प्रयास सहित विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा उपरोक्त घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व घटनाओं के अनावरण हेतु निर्देश के क्रम में आज दिनांक 20.02.2025 को थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त टप्पेबाजी की घटनाओं को कारित करने वाले गिरोह के महाराष्ट्र निवासी दो अंतर्राज्यीय अभियुक्तों- दिनेश कुमार पुत्र परमशिवा उम्र 20 वर्ष व रमेश नायडू पुत्र मनी नायडू उम्र 32 वर्ष निवासीगण देवफल्ली, नवापुर, नंदुरबार थाना बालीपाड़ा जनपद नेदुलवाड़ा महाराष्ट्र को कस्बा भदोही जीवन धारा हॉस्पिटल के पास पुल के नीचे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से टप्पेबाजी की घटनाओं से सम्बंधित एक अदद लैपटॉप मय बैग, दो अदद लेडिस पर्स व ₹2,000/- नगद तथा अवैध तमंचा 315 बोर मय जिंदा कारतूस व नाजायज चाकू बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) व 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा नाजायज तमंचा, कारतूस व चाकू बरामदगी के संबंध में अंतर्गत धारा 3/25 व 4/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जांच व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अंतर्राज्यीय अभियुक्तों का नाम व पता-

1.दिनेश कुमार पुत्र परमशिवा उम्र 20 वर्ष निवासी देवफल्ली, नवापुर, नंदुरबार थाना बालीपाड़ा जनपद नेदुलवाड़ा महाराष्ट्र

2.रमेश नायडू पुत्र मनी नायडू उम्र 32 वर्ष निवासी देवफल्ली,नवापुर, नंदुरबार थाना बालीपाड़ा जनपद नेदुलवाड़ा महाराष्ट्र

यह हुई बरामदगी-

टप्पेबाजी की घटनाओं से सम्बंधित एक अदद लैपटॉप मय बैग, दो अदद लेडिस पर्स व ₹2,000/- नगद तथा अवैध तमंचा 315 बोर मय जिंदा कारतूस व नाजायज चाकू

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

उ0नि0 बृजेश कुमार राय, उ0नि0 श्रीनिवास राय, उ0नि0 श्यामजी यादव, हे0कां0 विनोद यादव, हे0कां0 रवि प्रकाश पाठक, कां0 अंकुश भारती व का0 शक्तिपाल थाना व जनपद भदोही